यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय वन संरक्षक, गढवाल वृत्त, पौडी** के माह 09/2013 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.11.2018 से 14.11.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री जी.एस.नेगी एवं श्री एल.एस. लिंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.09.13 से 11.09.13 तक संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2010 से 08/2013 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2010 से 08/2013 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 09/2013 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 09/2013 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: गढवाल,सिविल सोयम गढवाल, रूद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली, अलकनन्दा, चमोली।

   क्रियाकलाप समस्त DFO को आवश्यक निद्रेश देना एवं कार्या की स्वीकृती प्रदान करना।

   (ii) (अ) **राजस्व का विवरण:** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	
2016-17	इकाई को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है।
2017-18	

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थपना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2013-14	-	-	91.89	91.89	3.20	3.20	-	-
2014-15	-	-	97.24	97.24	0.90	0.90	-	-
2015-16	-	-	92.04	92.04	0.75	0.75	-	-
2016-17	-	-	95.22	95.22	1.90	1.90	-	-
2017-18	-	-	114.62	114.62	1.45	1.45	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2017-18	-	-	शून्य	-	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय वन संरक्षक गढवाल, वृत्त पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय वन संरक्षक गढवाल, वृत्त पौडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह ------------ को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 05/2014,03/2016,12/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ......कोई नहीं.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ....कोई नहीं................................... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: **एन॰पी॰वी॰ धनराशि का कम आंकलन किया जाना ` 8.34 लाख।**

अपर प्रमुख वन-संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन-विभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार वन भूमि के हस्तांतरण पर भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संबन्धित प्रभागीय वन-अधिकारी द्वारा सृजन की लागत, क्षतिपूर्ण वृक्षारोपण की धनराशि, एनपीवी की धनराशि, पथ वृक्षारोपण की धनराशि, वन्य-जीव संरक्षण की धनराशि, कैट प्लान की धनराशि एवं अन्य मदों में व्यय धनराशि की मदवार सूचना बनाकर प्रयोक्ता एजेंसी को सूचित करेगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर-वानिकी प्रयोजन के लिये वन-भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एन॰पी॰वी॰ (Net Present Value) के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश निम्नवत हैं:

(` in Lakh)

Eco- Value	Class and NPV rates/hectare					
	Class I	**Class II**	**Class III**	**Class IV**	**Class V**	**Class VI**
1. Very dense forest	10.43	10.43	8.87	6.26	9.39	9.91
2. Moderate Dense Forest	9.39	9.39	8.03	5.63	8.45	8.97
3. Open Forest	7.3	7.3	6.26	4.38	6.57	6.99

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वन-भूमि हस्तांतरण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी, खंदुखाल, मुछियाली, देवलगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.435 है॰ सिविल एवं पंचायती वन-भूमि लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, श्रीनगर को हस्तांतरित की गयी जिसकी भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति माह अप्रैल 2018 मे प्राप्त हुयी थी ।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त के पत्रांक 761/12-1 दिनाँक 01.09.2017 के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि Eco Class-V तथा Moderate Dense Forest के अन्तर्गत थी एवं जिसका घनत्व 0.2 था। परन्तु, वन भूमि के एन॰पी॰वी॰ की धनराशि ₹ 6,57,000 प्रति हे॰ की दर से ₹ 29,13,795/- मात्र दिखायी गयी है। जबकि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F-3/2007-FC दिनाँक 05.02.2009 के अनुसार Eco Class-V के अन्तर्गत Moderate Dense Forest की एन॰पी॰वी॰ 8,45,000/- प्रति हे॰ निर्धारित थी। इस प्रकार हस्तांतरित की जाने वाली 4.435 हे॰ वन-भूमि का मूल्य ₹ 37,47,575/- होता है जबकि उक्त भूमि का मूल्य ₹ 29,13,795/- ही गणना किया गया था जो कि ₹ 8,33,780/- कम था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि सिविल सोयम वन-प्रभाग से जानकारी प्राप्त कर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः एनपीवी की धनराशि ₹ 8.34 लाख कम आंकलन किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
95/2013-14	-	-	01

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय वन संरक्षक गढवाल, वृत्त पौडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताए: शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री जी.के.रस्तोगी,	वन संरक्षक
2		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय वन संरक्षक गढवाल, वृत्त पौडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र